Con. 3. 1.3.46
1000

अंक 1
संख्या 3

बुधवार,
11 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. विधान-परिषद् को प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर 1
2. स्थायी सभापति का निर्वाचन 2
3. स्थायी सभापति को बधाइयां 3
4. कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति का निर्वाचन 33

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 11 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में 11 बजे प्रातः डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व में समवेत हुई।

***सभापतिः** यदि किसी सदस्य ने अब तक अपना परिचय-पत्र न पेश किया हो और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किया हो वह इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(कोई नहीं)

विधान-परिषद् द्वारा प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर

***सभापतिः** यद्यपि यह आज के कार्यक्रम में नहीं है, पर मैंने अपने दायित्व पर यही अच्छा समझा कि मैं उस उत्तर को सभा के सामने पेश कर दूं जिसे मैं अमेरीका, प्रजातंत्रीय चीन तथा आस्ट्रेलिया की सरकारों के पास, उनसे प्राप्त शुभ-कामना के उत्तर में उनके दिल्ली स्थित प्रतिनिधि द्वारा भेजने का इरादा करता हूं। अवश्य ही मेरा मसविदा आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

उत्तर यों है:-

> ''आप से प्राप्त सद्भावना एवं शुभ-कामना के कृपापूर्ण सम्वाद को विधान-परिषद् तथा समस्त देश ने सम्मान के साथ स्वीकार किया है। इसके उत्तर में विधान-परिषद् की ओर से, एवं अपनी ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारा यह विश्वास कि संयुक्त-राष्ट्र, चीन तथा आस्ट्रेलिया के देशवासी और उनकी हुकूमतें हमारे कार्य को बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से देख रही हैं, हमें साहस प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि उनकी सहानुभूति भारतीय विधान-निर्माण में हमारे लिए बड़ी सहायक होगी।''

माननीय सदस्यो यह उत्तर आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

(हर्षध्वनि)

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

स्थायी सभापति का निर्वाचन

***सभापतिः** आज के कार्यक्रम का दूसरा विषय है, सभापति का निर्वाचन। मुझे निम्नलिखित नामज़दगी के परचे मिले हैं:

''विधान-परिषद् के सभापति पद के लिए मैं परिषद् के सदस्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित सदस्य की स्वीकृति मैंने प्राप्त कर ली है।

प्रस्तावक—जे.बी. कृपलानी

समर्थक—बल्लभभाई पटेल

मनोनीतकरण से मैं सहमत हूं। राजेन्द्र प्रसाद''

यह परचा नियमानुकूल है। दूसरा भी एक परचा है।

''विधान-परिषद् के सभापतित्व के लिए मैं परिषद् के सदस्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैंने पता लगा लिया है कि वह कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, यदि चुने जायें।

प्रस्तावक—माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब

मैं इसका समर्थन करता हूं—नन्द किशोर दास।''

यह भी परचा नियमानुकूल है।

अन्य दो परचे जो मुझे मिले हैं वे जायज नहीं हैं। उनमें एक जिसे माननीय श्री प्रकाशम् ने दिया है, वह निश्चित अवधि के बाद आया और उसमें किसी समर्थक का नाम भी नहीं है।

इसी तरह एक और परचा सर एस. राधाकृष्णन् से मिला है। यह भी नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि इसका कोई समर्थक नहीं है। इन दोनों में किसी पर भी (एक माननीय श्री प्रकाशम् और दूसरा सर एस. राधाकृष्णन् द्वारा प्राप्त) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की यह स्वीकृति नहीं है कि वे कार्यभार लेने के लिए प्रस्तुत हैं।

अस्तु, चूंकि अन्य दो प्रस्ताव पूर्णतः नियमानुकूल हैं और दूसरा कोई मनोनीतकरण-पत्र मेरे सामने नहीं है, मैं माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को नियमानुसार निर्वाचित स्थायी सभापति घोषित करता हूं। *(हर्षध्वनि)*

अब अस्थायी सभापति के नाते मैं आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से अनुरोध करूंगा कि वे परिषद् की ओर से उसके नियमानुकूल निर्वाचित सभापति के पास जायें और उन्हें प्लेटफार्म पर लाकर मेरे पास के आसन पर आसीन करें। *(हर्षध्वनि)*

(आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को ससम्मान सभापति के आसान पर बिठाया)

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।

***माननीय सदस्यगण:** इन्कलाब ज़िन्दाबाद, इन्कलाब ज़िन्दाबाद। जय हिन्द, जय हिन्द।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब जब सभा के स्थायी सभापति ने अपना आसन ग्रहण किया है, सदस्यों को हक है कि वे उनका अभिनन्दन करें इसके लिए सर्वप्रथम मैं सर एस. राधाकृष्णन् को आमन्त्रित करता हूं।

स्थायी सभापति को बधाइयां

***सर एस. राधाकृष्णन:** आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसे अपना महान सम्मान समझता हूं कि परिषद् के स्थायी सभापति के निर्वाचनोपरान्त मैं यहां पहला वक्ता बन रहा हूं। मैं सभा की ओर से इस अतुलनीय सम्मान प्राप्ति पर स्थायी सभापति महोदय का सादर अभिनन्दन करता हूं।

यह परिषद् यहां समवेत हुई है विधान बनाने के लिए, ब्रिटेन के राजनैतिक, आर्थिक तथा सामरिक नियंत्रण की वापसी को कार्यान्वित करने के लिए एवं स्वतंत्र भारत की राज्य स्थापना के लिए। यदि हम सफल हुये, तो सत्ता हस्तान्तरित करने का यह काम मानव इतिहास में जितने भी ऐसे कार्य हुये हैं, उनमें सर्वाधिक महान और रक्तपात-शून्य होगा। *(हर्षध्वनि)*

सबसे पहला अंग्रेज जो भारत में सन् 1579 में आया, वह था एक ईसाई धर्मप्रचारक। उसके बाद व्यापारी आये, जो आये तो थे व्यापार करने पर शासन करने के लिए यहां जम गये। सन् 1765 में राज्य सत्ता ईस्ट इंडिया कम्पनी को हस्तान्तरित हुई। बाद में धीरे-धीरे कम्पनी का शासन पार्लियामेंट के आधीन होता गया और फिर पार्लियामेंट ने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। तब से पार्लियामेंट ही यहां शासन कर रही है और यह शासन चल रहा है–''विश्व प्रेम एवं मुनाफा'' के प्रसिद्ध सिद्धांत पर जो साम्राज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है जिसे

[सर एस. राधाकृष्णन]

श्री सेसिल रोड्स ने निकाला था। परन्तु ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध यहां हमेशा ही आवाज उठती रही। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से उन समस्त विरोधों का प्रवाह एक धारा में बहने लगा। महात्मा गांधी के आगमन तक महासभा नम्र उपायों से काम लेती रही, पर बाद में यह उग्र और तीव्रगामी हो गई। सन् 1930 में लाहौर में भारतीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ और आज हम उसी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यहां समवेत हुये हैं। अंग्रेज जाति अथ से इति पर्यन्त अनुभवगामी है। लार्ड पामर्स्टन ने कहा था–''हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धांत नहीं है, हमारे लिए हित ही सनातन एवं नित्य है।'' अंग्रेज जब कोई विशेष पथ अपनाते हैं, तो आप इसे सत्य समझें, वे सत्ता को बाध्य हो समर्पित करने की भावना से ऐसा नहीं करते, प्रत्युत स्थिति की गम्भीरता एवं ऐतिहासिक आवश्यकता के उत्तर स्वरूप ही ऐसा पथ ग्रहण करते हैं। अब असंतोष उग्र हुआ तो उन्होंने हमें मोर्ले-मिन्टो सुधार दिया और साम्प्रदायिक निर्वाचन की पद्धति प्रारम्भ की। यह पद्धति जनता को परस्पर पृथक् रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। ब्रिटेन के उच्च मस्तिष्कों ने—विवेकी विद्वानों ने—यहां के अधिकारियों को यह परामर्श दिया था कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघ की पद्धति को उन्होंने चतुराई से यहां चालू कर दिया, तो वे उस धरोहर के प्रति विश्वासघात करेंगे जो उन्हें सौंपी गई है। इससे वे यहां के राजनैतिक समुदाय में एक ऐसा घातक विष प्रविष्ट करा देंगे, जिसका निकालना बहुत ही कठिन होगा और यदि हम उसे निकाल भी सके, तो गृह-युद्ध, रूपी मूल्य चुका कर ही यह कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि ये पूर्वज्ञान या आशंकाएं आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसके बाद क्रमशः हमें मांग्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार, सन् 1935 का एक्ट, क्रिप्स-प्रस्ताव मिले और आज मंत्रिमंडल की योजना मिली। इस विषय पर सम्राट की सरकार का हाल का वक्तव्य यह प्रकट करता है कि अधिकार का सहज आत्म-समर्पण मानव-स्वभाव के लिए मुश्किल है। *(हर्षध्वनि)* एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा देना महती जाति की मर्यादा के प्रतिकूल है। यह तो चालाकी की अति है और टिक नहीं सकती। यह ग्रेट ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्ध को बड़ा अप्रिय बना देगी। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* ब्रिटेन को यह जानना नितान्त आवश्यक है कि अगर कोई काम करना है, तो उसे यथासम्भव सुन्दरता से पूरा

करना चाहिए। फिर भी हम सब यहां समवेत हुए हैं, भावी भारत का विधान बनाने के लिए। विधान राष्ट्र के मौलिक नियम हैं। इसमें जाति की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और कल्पनाओं का वास्तविक चित्र आना चाहिए। यह समस्त देश की स्वीकृति से ही निर्मित होना चाहिए और इस महान देश में बसने वाले सभी समुदायों के अधिकारों का इसे सम्मान करना होगा।

हम एक-दूसरे से अलग रखे गये हैं। अब हमारा यह कर्तव्य है कि एक-दूसरे को अपनायें। विधान-परिषद् से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं, इसका हम सभी को दु:ख है। कल और परसों वक्ताओं ने इस पर दु:ख प्रकट किया है। हम तो यही मानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति क्षणिक होगी, क्योंकि हम जो भी विधान यहां बनायें उसकी सफलता के लिए उनका सहयोग नितान्त आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए हमें वास्तविकता की ओर दृष्टि रखनी होगी। इन समस्याओं को ही लीजिए—हमारी क्षुधा, पीड़ा, गरीबी, बीमारी और अपर्याप्त पोषण—ये सब के लिए समान हैं। इन मनोवैज्ञानिक बुराइयों को लीजिए—प्रतिष्ठाभावना का अभाव, मानसिक गुलामी, सद्बुद्धि का बिलकुल नष्ट हो जाना, पराधीनता की शृंखला—ये हिन्दू और मुसलमान, राजा और रंक सब को समान रूप से कष्टप्रद हैं। हो सकता है दासता की यह शृंखला सोने की हो, पर है तो शृंखला ही, जो हमें बांधे है। देशी रजवाड़ों को भी यह समझना होगा कि वे इस देश में पराधीन हैं, गुलाम हैं। *(हर्षध्वनि)* यदि उनमें आत्मसम्मान की किंचित् मात्र भी भावना है और वे अपनी स्थिति का विश्लेषण करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनकी स्वतंत्रता कितनी सीमाबद्ध है।

और फिर जाति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, है तो इसी एक देश की। जमीन और आसमान ने मिलकर उन्हें एक दूसरे का बना दिया है। यदि वे इस सत्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन-सहन, उनकी आकृति, उनकी विचार-पद्धति, उनकी व्यवहार-पद्धति ये सब उनकी इस कुचेष्टा को व्यर्थ कर देंगी। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* हमारी राष्ट्रीयता पृथक् है, ऐसा सोचना हमारे लिए असम्भव है। हमारी वंश परम्परा-पूर्व पुरुषों की परम्परा—प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है। जो भी विधान बने उसमें यह बात तो होनी ही चाहिए कि सभी नागरिक यह अनुभव करें कि उनके आधारभूत अधिकार—शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक—उन्हें प्राप्त होंगे; उनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी;

[सर एस. राधाकृष्णन्]

किसी को दबाया न जायेगा; वह विधान सही-सही मानी में गणतांत्रिक होगा, जिसकी छत्रछाया में हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता एव समानता प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को इस गौरव का ज्ञान होना चाहिए कि वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है।

इसके अलावा जाति-सादृश्य, भाव-सादृश्य या पूर्वजों की यादगार पर राष्ट्रीयता नहीं निर्भर करती; यह तो निर्भर करती है उस जीवन-पद्धति पर, जिसे हम चिरकाल से बरतते चले आ रहे हैं। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की भूमि की निजी वस्तु है। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की निजी वस्तु है उसी तरह, जिस तरह गंगा का जल या हिमालय का बर्फ इसमें हैं। हमारी सभ्यता की तह में, सिन्धु नदी के मैदान में इसकी समुत्पत्ति काल से आज पर्यन्त एक ही संस्कृति है, जो हम—हिन्दू और मुसलमान—दोनों में ही व्याप्त है; इस दीर्घकाल में हम लोगों ने बुद्धिवाद तथा परोपकार का आदर्श सामने रखा है।

मुझे स्मरण होता है कि पहली मई सन् 1890 को किस तरह फ्रांस का परम प्रसिद्ध लेखक अनातोले फ्रांस, पेरिस के प्रख्यात म्युजियम गुमेट में गया और वहां एशियाई देवताओं की प्रशांत मधुर प्रतिमाओं के बीच बैठ ध्यान मग्न हो जीवन के उद्देश्य पर, उसकी वास्तविकता पर और उस सार का महात्म्य पर विचार करने लगा, जिसे जनता और सरकारें आज तलाश रही हैं। उसकी दृष्टि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। चिर-युवा भगवान बुद्ध संन्यासी वेश में पद्मासन पर समासीन हो, दो अंगुलियां उठाये मीठी झिड़की से मानवता को समझा रहे थे कि वह ज्ञान एवं परोपकार, बुद्धि एवं प्रेम, प्राण और करुणा की वृद्धि करे। अनातोले के जी में आया कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे झुककर प्रार्थना करे, जैसे भगवान से की जाती है। अगर आप में ज्ञान है, करुणा है, तो आप विश्व की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे। उनके महान शिष्य अशोक ने अपने राज्य को भिन्न-भिन्न धर्म और जाति के लोगों से बसा हुआ पाया, तो उसने यह आदेश दिया, समवाय एव साधु। ''संयोग ही सर्वश्रेष्ठ है,'' अर्थात् एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है।

भारत एक स्वर-लहरी के समान है, एक आरकेष्ट्रा के समान है, जिसमें भिन्न-भिन्न वाद्य-यंत्र, भिन्न-भिन्न स्वर, अपनी-अपनी मधुर ध्वनि और मिठास के

साथ एक ही चीज को अदा करते हैं। इसी तरह का सामंजस्य या ऐक्य देश अरसे से चाहता है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, इसे किसी तरह जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान जो यहां शरण लेने आए, उनसे इसने यह कभी नहीं कहा कि वे इसका धर्म मान लें या हिन्दुओं में मिल जायें। ''जिओ और दूसरे को जीने दो'' यही हमेशा इस देश की भावना रही है। यदि हम सच्चाई से इस भावना पर स्थिर हैं, यदि हम उस आदर्श पर दृढ़ हैं, जो पांच-छ हजार वर्षों से हमारे संस्कृति में व्याप्त है, तो हमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं है कि हम समुपस्थित संकट पर उसी तरह विजय पायेंगे, जिस तरह अपने अतीत-इतिहास के संकटों पर पाये थे।

आत्महत्या सबसे बड़ा पाप हैं आत्मा का हनन करना, आत्म प्रवंचना करना, क्षुद्र भौतिक सुख के लिए अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति दे देना, आत्मा का हनन कर शरीर की रक्षा करना यह महान पातक है। यदि हम उन महान आदर्शों पर स्थिर न रह सके जिन पर यह देश हमेशा दृढ़ रहा है, उन आदर्शों पर जो विदेशी आक्रमणों के निरन्तर आघात पर भी जीवित रहे, जिनकी ओर से आज का असावध ान संसार मुंह फेर चुका है, यदि हम आज दृढ़ कर सके तो वह ज्वाला, जिससे हम विदेशी शासन पर विजय पा सके हैं, हमारे स्वतंत्र और संगठित भारत के निर्माणात्मक प्रयासों को प्रबलतर बनायेगी।

यह केवल संयोग की ही बात नहीं है कि हमारे अस्थायी और स्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दोनों ही बिहार के हैं। दोनों ही 'बिहार' की भावना से—अजेय सौजन्य-से परिपूरित हैं। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं:

मृदुना दारुणंम हन्ति
मृदुना हन्ति अदारुणम्,
नासाध्यं मृदुना किंचित्
तस्मात्तीक्ष्णातरं हि मृदु।

अर्थात्, मृदुता या सुजनता; कठोरतम और कोमलतम दोनों ही पर विजय प्राप्त करती है। सौजन्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अत: सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है।

[सर एस. राधाकृष्णन]

मृदुता और सौजन्य ऐसे अमोघ अस्त्र हैं, जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी पराजित हो जायेगा। हम इसके प्रति सच्चे नहीं रहे। हमने अपने ही लाखों बन्धुओं को ठगा और उनके साथ अन्याय किया। हमारे अतीत के अपराधों के प्रायश्चित का आज समय आया है। यह न्याय और परोपकार की बात नहीं हैं, यह तो हमारे विशुद्ध प्रायश्चित की बात है। मैं तो इसे इसी दृष्टि से देखता हूं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पाकर हम ऐसा व्यक्ति पा गये हैं जो सौजन्य की स्वयं प्रतिमा है। *(हर्षध्वनि)* इनमें असीम धैर्य है, असीम साहस है। इन्होंने घोर कष्ट सहे हैं। यह राष्ट्रीय महासभा का 60वां वर्ष है और आज हम विधान-परिषद् का प्रारम्भ कर रहे हैं। यह केवल संयोग की ही बात नहीं है। कृतज्ञतापूर्वक हमें उन महान विभूतियों को याद करना है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए आज के स्वर्णिम दिन के लिए प्रयास किया है और कष्ट सहे हैं। हजारों मर गये; हजारों ने कारावास, निर्यातन और यातनायें सहीं। उनकी असीम यातनाओं के बल पर ही भारतीय राष्ट्रीय महासभा रूपी यह विशाल अट्टालिका निर्मित हुई है। *(प्रशंसा-ध्वनि)* हमें उन सभी त्यागियों को याद रखना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सदा ही देश के, कांग्रेस के कष्ट झेलने वाले सेवक रहे हैं। देश की भावना के आप मूर्तिमान प्रतीक हैं। हमारी तो यही आशा है कि बन्धुत्व और ऐक्य की वह भावना, जो हमारी संस्कृति में भगवान शिव से लेकर महात्मा गांधी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तक चली आई है, हमारे प्रयत्नों को प्रेरणा प्रदान करेगी। *(प्रशंसा-ध्वनि)*

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कौन सभापति है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं सभापति हूं।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को जो सर्वसम्मति से इस परिषद् के स्थायी सभापति चुने गये हैं, मैं भी अपनी क्षुद्र श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूं। मेरे मित्र सर एस. राधाकृष्णन अंग्रेजी भाषा के एक श्रेष्ठ भारतीय वक्ता हैं। उनके लालित्यपूर्ण प्रवाह के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा भाषण आपको नीरस ही लगेगा।

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन उस असीम विश्वास का प्रतीक है जो विधान-परिषद् ही क्या समस्त देश इनमें रखता है। सभापति चुन कर वस्तुतः हम उनका उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, जितना वह हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा कर रहे हैं। *(हर्षध्वनि)* इसलिए वस्तुतः हमें अपना अभिनन्दन करना है कि उन्होंने विधान-परिषद् के स्थायी सभापति का आसन स्वीकार किया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी एक दुःसह दायित्व स्वीकार कर रहे हैं। उनका जीवन समर्पण देश सेवा के लिए आत्म-समर्पण का जीवन रहा है। अनुपम त्याग और तपस्या से इनका जीवन पवित्र हो चुका है। मेरे लिए यह अनावश्यक है कि मैं उनके महान पाण्डित्य, गम्भीर विद्वत्ता तथा मनुष्य और स्थिति के विस्तृत ज्ञान पर प्रकाश डालूं। इन गुणों ने ही उन्हें इस महान कार्य के योग्य बनाया है और इसके निर्वाह में उन्हें जिन कठिनाइयों, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनके समाधान के लिए उन्हें इन गुणों का ही सहारा लेना होगा। गत कई दिनों से ही मैं उनके सम्पर्क में आया हूं और उनसे मेरा साक्षात हुआ है। अब मुझे दुख होता है कि और पहले से तथा अधिक घनिष्टतापूर्वक उन्हें जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं इनके सम्बन्ध में सुन चुका था, पढ़ चुका था; पर गत दिनों के अनंतर जब से साक्षात हुआ है और इन्हें जानने का अवसर मिला है, मैंने यह अनुभव किया है कि अपनी तीव्र बुद्धि और गम्भीर ज्ञान के कारण ही वह देशवासियों का आदर-सम्मान पाते हैं और पाते रहेंगे ही। इनकी सर्वोपरि विशेषता जिसके कारण ये समस्त देशवासियों के बिना सम्प्रदाय, वर्ग भेद के, स्नेह और सम्मान के भाजन हैं और सदा रहेंगे, वह हैं इनके महान मानव गुण—इनका स्वाभाविक सौजन्य, समस्या को समझने की इनकी पद्धति, जो वाद-विवाद में आवेश की ओर प्रावहित होने वाले व्यक्तियों को शांत होने के लिए बाध्य कर देती है और इनके मधुर वचन जो क्रोध को फटकने नहीं देते—ये इतनी बहुमूल्य निधि हैं, जो इनके उस दायित्व को सफल बनाने में बड़ी सहायक होंगी जिसे इन्होंने स्वीकार किया है।

इनके सभापति निर्वाचित हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि विधान-परिषद् ने अपने भाग्य-निर्णायक जीवन का श्री गणेश किया है। यह सभा अपना सारा

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

काम समाप्त करे, इसके पहले निश्चय ही इसके सामने ऐसी कठिनाइयां और जटिल स्थितियां आयेंगी, जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे अतुलगुण-सम्पन्न व्यक्ति की क्षमता को भी क्लान्त कर देंगी। नि:संदेह, हमें पूर्ण विश्वास है कि वे सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अवश्य ही वे सभा के गौरव और प्रतिष्ठा को स्थिर रखेंगे, सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। पर इनका सब से कठिन काम होगा, उन सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को परास्त करना, जो इस सभा की सत्ता को कमजोर बनाने के लिए किये जायेंगे। यह अवसर नहीं है कि मैं विस्तारपूर्वक इस बात पर प्रकाश डालूं कि यह सभा उस कार्य के लिए वस्तुत: सर्वसत्ता सम्पन्न है, जिसे इसने पूरा करने का भार लिया है। यह तथ्य कि इसके सदस्यों को वर्तमान भारत सरकार की मशीनरी ने समवेत किया है, इस सभा की सत्ता को लघु नहीं कर सकता। *(हर्षध्वनि)* इस सभा का काम है—जिसे मंत्रिमंडल ने अपने बयान में सुन्दर शब्दों में तो नहीं दिया है—सम्पूर्ण भारत के लिए, जिसमें संघ (यूनियन) ही नहीं बल्कि इकाइयां भी शामिल हैं, विधान बनाना। और यदि यह सभा और इसके अन्य सेक्शन फैसला करें तो गुटबंदी (grouping) हो सकती है।

मंत्रिमंडल के वक्तव्य को मैं इस सभा की रचना विषयक योजना का आधारभूत कानून समझता हूं। इस योजना या संगठन को केवल इस बात से सत्ता नहीं प्राप्त होती है कि इसे सम्राट की सरकार के तीन मंत्रियों ने बनाया है, वरन् इसे सत्ता इसलिए प्राप्त है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। इस सभा के अधिकारों पर जो भी पाबन्दियां वक्तव्य में हैं, ये स्वकीय हैं जिन्हें हमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। योजना ने तथा बाद में उसके निर्माताओं की व्याख्याओं ने यह साफ कर दिया है कि इस सभा को विधान में रद्दोबदल करने, योजना की दी हुई व्यवस्था को घटाने या बढ़ाने और यहां तक कि योजना के बुनियादी मामलों में परिवर्तन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस सभा कार्य संचालन किसी बाहरी शक्ति पर, चाहे वह शासन सम्बन्धी हो, या न्याय सम्बन्धी, स्थिर नहीं है।

सिर्फ एक स्थल पर ही आवश्यक है कि कोई निर्णय करने के पहले सभा के प्रमुख सम्प्रदायों के बहुमत के अनुरोध पर सभापति मामले पर संघ न्यायालय की राय मांगें। उससे यह साफ है कि उस सभा की कार्य-पद्धति पर जो भी

वैधानिक प्रश्न उठेगा, उसका निर्णय स्वयं सभापति करेंगे और वह भी सभा द्वारा प्राप्त आदेशों के आधार पर करेंगे। अन्य मसले फैसला या राय के लिए बाहरी सत्ता के सामने तभी पेश किए जा सकते हैं, जब इस सभा का ऐसा आदेश हो और उसका फैसला स्वीकार करना भी इस सभा के लिए लाजिमी नहीं है, जब तक उसने इस बात को स्वीकार न कर लिया हो। अतः सम्राट की सरकार के हाल के वक्तव्य की यह विचारधारा कि 'कोई भी पक्ष' (यही उनके शब्द हैं) इसके लिए स्वतंत्र है कि वह व्याख्या संबंधी प्रश्न पर बाहरी सत्ता से फैसला मांगे और यह सभा उस फैसले को स्वीकार करे, कभी भी कार्यान्वित नहीं की जा सकती, जब तक यह सभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा अधिकार न दे दे। *(हर्षध्वनि)* इस वक्तव्य में दिया हुआ सुझाव, यदि बिना इस सभा के स्वीकारात्मक प्रस्ताव के ही कार्यान्वित किया गया, तो इससे इस सभा की सत्ता पर आघात पहुंचेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ऐसे प्रयास को यथाशक्ति रोकेंगे। *(हर्षध्वनि)*

भाषण समाप्त करने के पहले मैं इस सभा के सर्वसत्ता सम्पन्न होने के प्रश्न के एक पहलू की चर्चा करूंगा। इस सभा के सामने सिर्फ विधान बनाने का ही काम नहीं है, बल्कि इसे यह भी तय करना है कि विधान कार्यान्वित कैसे किया जाये। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि उन लोगों से अधिकार लेना है, जिनके हाथ में आज है। अधिकार या सत्ता किस तरह हस्तान्तरित की जाये इसका निर्णय भी यह सभा ही करेगी। मेरी राय में सम्राट की सरकार के इस दावे से कि सत्ता हस्तान्तरित करने की पद्धति का फैसला वह करेगी, सभा की सत्ता को कम नहीं करता। सत्ता हस्तान्तरित करना इन्होंने मंजूर कर लिया है। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, आपको इस सभा का सभापति पाकर हमें अभिमान है और हम आपकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। *(तुमुल हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): इस सभा के दो बड़े प्रमुख सदस्य महान् दार्शनिक और अध्यापक सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और परम प्रसिद्ध शासक सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देते हुए सभा के समक्ष अपना भाषण दिया है और प्रासंगिक रूप से कतिपय उन प्रश्नों पर भी अपना मत व्यक्त किया है जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्मुख उपस्थित होंगे।

[सभापति]

अब मैं आने वाले वक्ताओं से कहूंगा कि वे संक्षेप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में बोलें, *(हंसी)* और विधान विषयक बातों को छोड़ दें।

अब में श्री एफ. एन्थॉनी को आमंत्रित करूंगा कि वे सभा के समक्ष बोलें।

***श्री एफ. आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): अस्थायी सभापति महोदय, चंद मिनट पहले मुझसे यह पूछा गया कि क्या डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देने में, उनका अभिनन्दन करने में मैं भी शरीक होऊंगा। मैंने हार्दिक प्रसन्नता से यह आमंत्रण स्वीकार किया था।

महोदय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, पर मैं उन्हें जानता हूं और मेरे लिये यह अनावश्यक है कि मैं उनके गुणों और बहुविदित तथा पाण्डित्य-पूर्ण कारनामों की व्याख्या करूं। जिस पद के लिये वह सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, वह न केवल महान और अपूर्व ही है वरन् साथ ही दु:सह भी है। आपका यह सतत कर्तव्य होगा, आपकी यह निरंतर चेष्टा होगी कि देश के भिन्न-भिन्न हितों पर आपकी समदृष्टि रहे। इन विभिन्न हितों ने ही इस देश को विशालता प्रदान की है। आज हमें अपने नेताओं में सर्वाधिक जिन गुणों की आवश्यकता है वे हैं सहिष्णुता, दूरदर्शिता और उदार दृष्टि। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे मुझे विश्वास है कि आप उन नेताओं में हैं, जिनमें ये गुण प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आज प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो उसकी स्वाभाविक और तीव्र प्रवृति है कि वह अपनी मातृभूमि की महत्ता-वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* मुझे इस बात का भी विश्वास है कि भाषा, सम्प्रदाय तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी जितने भी भेद हों—और हमारे भारत जैसे विशाल देश में ये तो अवश्य ही रहेंगे—उदारता तथा व्यापक दृष्टि के गुणों से सुसम्पन्न नेता इन समस्त विभिन्न सम्प्रदायों को मिलाने में, उनकी एक सम्मिलित तीव्र धारा प्रवाहित करने में अवश्य सफल होंगे और यह विशाल धारा अपने पथ पर निर्बाध्य आगे बहती हुई हमारे देश को उसके गन्तव्य-स्थान, उसके अधिकार पूर्ण स्थान पर पहुंचा कर उसे संसार का अग्रणी बना देगी। अन्त में मुझे इस बात का भी विश्वास है कि मैं सभा की ही राय व्यक्त कर रहा हूं,

जब मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद न केवल मर्यादापूर्वक ही बल्कि श्रेष्ठतापूर्वक अपने प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करेंगे। *(हर्षध्वनि)*

***सरदार उज्जल सिंह** (पंजाब : सिख): सभापति महोदय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सर्वसम्मति से परिषद् का सभापति चुने जाने पर सभा एक स्वर से प्रशंसा गान कर रही है और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं भी इसमें अपना सुर मिला रहा हूं। वस्तुत: मेरा विश्वास है कि इस अपूर्व और ऐतिहासिक सभा के सभापति के लिए इससे अधिक उपयुक्त और सुन्दर चुनाव हो नहीं सकता। अपने अतुल त्याग और सेवा, अनुपम पाण्डित्य और योग्यता, सौजन्य और सर्वोपरि निष्कलंक चरित्र के कारण आप न केवल बिहार के ही वरन् समस्त-भारत के आराध्य बन गये हैं। मुझे निश्चय है कि सभा को इस बात पर सन्तोषबोध होगा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापति रहते हुये इस सभा की क्षमता पर सिवा उन नियंत्रणों को, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है और कोई नियंत्रण या पाबन्दी न लगाने दी जायेगी। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सच्चाई, चरित्र और विनम्रता दोष से परे है। ऐसा व्यक्ति सभा के प्रत्येक सदस्य के विश्वास का अधिकारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य सभा का विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि एक दल है जो आज सभा में उपस्थित नहीं है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दल के लोग भी जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के राजनीतिक विरोधी कहे जा सकते हैं, सभा के कार्य संचालन में उनकी निष्पक्षता और न्याय पर भरोसा कर सकते हैं। सभापति जी, मुझे आशा है और पूरा भरोसा है कि उनके योग्य-पथ प्रदर्शन और प्रेरणा में यह सभा न केवल विधान बनाने में ही सफल होगी, वरन् स्वतंत्र, प्रजातंत्रीय राज्य स्थापित करने में भी सफल होगी। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह उन्हें उन दु:सह कर्तव्यों और कठोर दायित्वों के सम्पादन की शक्ति दे, जो खाद्यमंत्री तथा इस ऐतिहासिक सभा के सभापति के नाते उन पर लागू हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं दरभंगा के महाराजाधिराज लेफ्टिनेंट कर्नल सर कामेश्वर सिंह से बोलने का अनुरोध करूंगा।

***माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, वस्तुत: हम सबों के लिए आज अभिमान का दिन है।

[माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह]

भारत के अधिकारी प्रतिनिधियों ने देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उस गौरवशालिनी परिषद् की सत्ता का संरक्षक चुना है। ऐसा करके उन्होंने न केवल उनकी महत्ता का ही आदर किया है, वरन् हमारे प्रान्त को भी सम्मानित किया है जिसके वे सर्वोत्कृष्ट रत्न हैं। उनकी उत्कृष्टता आज स्वीकृत हुई है, इसका हमें अपार हर्ष है। उनका चरित्र, योग्यता, विद्वत्ता, सौजन्य, त्याग, सेवाभाव और सर्वोपरि मातृभूमि के लिए उनका आत्मोत्सर्ग—ये सब गुण अवश्य ही लोगों को उनकी ओर आकृष्ट करेंगे। उन्हें उनका भी सम्मान और आदर प्राप्त है जो उनकी राजनीति के अनुयायी नहीं हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं उस संत पुरुष की तरह, जो घर और बाहर दोनों जगह समाहृत है। मैं समझता हूं कि उनका कार्य बहुत गुरु है। उन्हें देश को दासता से हटा स्वाधीनता की ओर ले जाना है। सही रास्ते पर चलने में और पथ की असंख्य बाधाओं को पार करने में उन्हें हमको सहायता देनी होगी। जब भी हमारे अधिकारों पर आघात किया जायेगा, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी और अपनी दृढ़ता, न्याय तथा निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। मैं उनके सौजन्य, कर्तव्य-परायणता, उदार दृष्टि से सुपरिचित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने महान पद की प्रतिष्ठा का जिस पर देश ने सर्वसम्मति से उन्हें बिठाया है और जो देशवासियों का सर्वोच्च उपहार है—निर्वाह सन्तोषपूर्वक करेंगे। परमात्मा उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन दे, जिससे वे अपने दु:सह कर्तव्य का पालन कर सकें और अपने परिश्रम का फलोपभोग भी कर सकें। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनके साफल्य की कामना करता हूं। मुझे आशा है, उन्हें सभा के सभी सदस्यों का सच्चा सहयोग मिलेगा, जो उनके तत्वावधान में शान्तिमय उपायों से स्वराज-प्राप्ति के लिय यहां समवेत हुए हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौज़ा।

***डॉ. जोसफ आल्बन डीसूजा** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक परिषद् के स्थायी सभापति निर्वाचित होने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अभिनन्दन-गान में बड़ी प्रसन्नता से मैं सम्मिलित होता हूं। गत दो दिन तक अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा ने अपनी तेज समझ, वाक् चातुर्य और सर्वोपरि

अपनी रसिकता से परिषद् का कार्य संचालन खूब खूबी से किया। विधान-परिषद् रूपी पोत को आपने कठिन तरंगों से पार कर किनारे पहुंचा दिया है। पोत को विधान-रूपी समुद्र के तरंगों में लाकर उसे स्थायी सभापति के हवाले कर दिया है। इस समय यह कहना कठिन है कि इन उठती हुई तरंगों का अन्तिम स्वरूप क्या होगा? परन्तु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है कि स्थायी सभापति के सामने एक बड़ा ही दायित्वपूर्ण कार्य है। इस पुरानी और सच्ची कहावत में कि ''हर अंधकार में प्रकाश छिपा रहता है'' मुझे पूरा विश्वास है और सदा बना रहेगा। इस विधान-परिषद् पर काली घटायें छाई हुई हैं, परन्तु इसमें भी रजत-रेखा अवश्य छिपी हैं और इसी बल पर भारत के आसन्न और सुदर सुन्दर भविष्य का मुझे पूरा विश्वास है।

डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने अभी यह आदेश दिया था कि प्रथम दो वक्ताओं के बाद जो वक्ता आयें वे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अभिनंदन तक ही अपने को सीमित रखें और वैधानिक या ऐतिहासिक प्रश्नों पर न जायें। पर मैं उनसे इस की अनुमति चाहता हूं कि मैं एक वैधानिक प्रश्न का लघु उल्लेख करूं।

इस विधान-परिषद् की तथा इसके विधान निर्माण सम्बन्धी कार्य की सूचना आज से सौ वर्ष पूर्व हमें मिल चुकी थी। हम यह तो नहीं कहते कि इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, पर इसकी सूचना अवश्य हमें मिली थी। आज सौ वर्ष से कुछ अधिक हुआ, तब महामना बर्क ने भारतीय साम्राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए ट्रस्टीशिप या अमानतदारी के सिद्धान्त को लागू किया। उस समय उन्होंने यह घोषित किया था कि बालक भारत ज्यों ही वयस्क होगा, हमारी अमानतदारी समाप्त हो जायेगी।

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत राजनीतिक रूप में अभी बालिग नहीं हुआ है? क्या अभी भी वह नाबालिग है? जब मैं इस महती परिषद् की पहली पंक्ति पर दृष्टि डालता हूं, तो मुझे ऐसी बड़ी-बड़ी विभूतियां दिखाई देती हैं, जो चर्चिल, रूजवेल्ट या स्टालिन का न केवल पार्ट ही अदा कर सकती हैं; बल्कि उनसे अच्छा अदा कर सकती हैं। यह तो हुआ भारत के चरम श्रेणी के नागरिकों के सम्बन्ध में। निम्न से निम्न श्रेणी के नागरिकों की—देहात के रहने वालों की—आज क्या अवस्था है? यदि हमारे नेता आज देहात में उस रैयत से मिलें जो कुछ दिनों पहले घोर अज्ञान में थी, जिसे अपने अधिकारों और आवश्यकताओं का भी ज्ञान न था और अब उससे स्वतंत्र भारत की चर्चा करें तो वह तुरंत

[डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौज़ा]

उनसे कह उठेगी ''यदि आप स्वयं हमारे लिए आजादी नहीं प्राप्त कर सकते तो हम खुद उसे पाने की कोशिश करेंगे'' वह जानती है कि यह उसका पावना है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

मेरी समझ में यह विधान-परिषद् भारत के बालिग होने का एक महोत्सव समारोह है और इसलिए हिन्दू, मुसलमान, सिख, क्रिस्तान, पारसी, हरिजन, सबको यथा शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से काम शुरू कर देना चाहिए।

इस काम में मुझे विश्वास है कि हमारे स्थायी सभापति हमें सहायता देंगे और हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे। मध्यकालीन सरकार में आपने थोड़े ही दिनों से कार्य भार सम्भाला है, पर इन थोड़े दिनों में ही खाद्यस्थिति को सुन्दरता से काबू में लाकर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। उनके अल्पकालीन कार्यों से हमें इस बात का परिचय मिल गया है कि आप बड़ी लगन और योग्यता से इस परिषद् का कार्य-संचालन करेंगे। आप सबकी ओर से मेरी यह कामना है कि हमारे स्थायी सभापति को स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त हो, ताकि वह इस परिषद् के सभापतित्व का गुरु भार वहन करने में समर्थ हों।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास : जनरल): स्थायी सभापति महोदय, मैं इसे अपना परम गौरव समझता हूं कि इस महती सभा के सम्मुख खड़ा हो मैं सर्वसत्ता सम्पन्न इस सभा के सर्वसम्मत सभापति चुने जाने पर आपका अभिनन्दन कर रहा हूं। 6 करोड़ अछूतों की ओर से, 6 करोड़ जमीन खोदने वालों और लकड़ी काटने वालों की ओर से, जो देश की राजनैतिक एवं आर्थिक सीढ़ी के निचले पाये पर हैं, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। सन् 1890 में हमारे प्रान्त के अपने एक श्रद्धेय नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के नाम एक खुली चिट्ठी भेजी, जिसमें अछूतों की असहाय अवस्था का चित्रण था, पर 1932 में महात्मा गांधी को यह भार दिया गया कि वे इसकी रूप-रेखा निश्चित करें कि अछूतों को किस तरह सहायता दी जाये। इसी स्मरणीय अवसर पर मैं आपके सम्पर्क में आया और यह जान पाया कि अछूतों के प्रति आपको कितनी सहानुभूति है। उसी समय से मैं यह जान पाया हूं कि आपने हरिजन सम्प्रदाय की कितनी बड़ी सेवा भी की है और वस्तुतः इस परिषद् का प्रत्येक हरिजन सदस्य आपकी इन

अमूल्य सेवाओं से परिचित है। इनकी ओर से मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि आपके सभापतित्व में यहां सबको समानता मिलेगी और इस विशाल देश के लिए जो भी विधान बनेगा, उसमें हरिजनों को उचित स्थान प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि आप अपने महत् पद पर मर्यादापूर्वक आसीन रहेंगे और हरिजनों के साथ न्याय करेंगे, ताकि उनको और सम्प्रदायों के समान स्थान प्राप्त हो सके। आदरणीय महोदय, 6 करोड़ अछूत हिन्दू समाज की रीढ़ हैं, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में जो विधान बनेगा, उसमें आप यह चेष्टा करेंगे कि हरिजनों की अयोग्यताओं या कमियों की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वे इस देश में औरों के समान अधिकार का उपभोग कर सकें।

श्री खान अब्दुल गफ़्फार खां साहबः जनाब सदर साहब, बहनो और भाइयो, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस एसेम्बली के बहस-मुबाहिसे में कुछ हिस्सा लूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस ख्याल का आदमी हूं कि बहुत तकरीरों और तारीफों को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन चंद भाइयों ने मुझे मजबूर किया कि इस मौके पर मुझे भी कुछ जरूर कहना चाहिए। अब मैं यहां इस गर्ज के लिये खड़ा हुआ हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद को जो सभा की तरफ से इतनी बड़ी इज्जत दी गई है, उसके लिये मैं आपकी तरफ से और सूबा सरहद की तरफ से इनको मुबारकवाद दूं।

मैं राजेन्द्र प्रसाद को खूब जानता हूं और यह कह सकता हूं कि जो लोग जेलखानों में और मुसीबतों और तकलीफों की जगहों में इकट्ठे रहे हों, उनको मौका मिलता है कि एक दूसरे को पहचानें। चुनाचे मुझे यह फक्र है कि मैं बाबू राजेन्द्र प्रसाद के साथ जेल में काफी मुद्दत तक रहा हूं। मैं इनको खूब जानता हूं, मैं इनकी आदतों से वाकिफ हूं। मैं यह कहता हूं कि सबसे बड़ी तारीफ जो मैं उनकी कर सकता हूं और जिसकी हर एक हिन्दुस्तानी को जरूरत है, वह यह है कि इनके दिल में भेदभाव नहीं है। बदकिस्मती से हिन्दुस्तानियों के दिलों में भेदभाव और खराबियां हैं। आप जानते हैं कि एक खाना हिन्दू के लिए है और दूसरा मुसलमान के लिए। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद का दिल सबके लिए एक है। मैं यह बात महसूस करता हूं और मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरे मुस्लिम लीग वाले भाई इस सभा में नहीं हैं, मैं यह भी देखता हूं कि हिन्दुस्तान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वह हमारे सूबा सरहद के लोगों से और खास कर मुझ से नाराज से हैं वह कहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ नहीं हैं। हमेशा जब मैं रेल में सफर करता हूं, तो

[श्री खान अब्दुल गफ्फार खां साहब]

ऐसी बात मुझे बहुत से भाई कहते हैं, लेकिन हमेशा मैं उनको यही जवाब देता हूं कि मैं हमेशा मुसलमानों के साथ हूं और उनसे जुदा नहीं हूं। जब वह कहते हैं कि तुम लीग के साथ नहीं हो तो मैं कहता हूं कि लीग के साथ होना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि यह तो सियासी जमाअत है और हर एक आदमी अपना ख्याल रखता है और रख सकता है। मैं यह कहता हूं कि हर आदमी को यह आजादी होनी चाहिए और उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। हर आदमी को यह हक हासिल है कि जिस चीज को वह ईमानदारी या दियानतदारी से कौम और मुल्क के लिये बेहतर समझे वही करे। इस वक्त यह कोई नहीं पूछ सकता कि मैं कांग्रेस के साथ क्यों हूं। मैं मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग तालीम में आपसे बहुत पीछे हैं और यह भी मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग दौलत में भी आपसे बहुत पीछे हैं। हमारा छोटा-सा सूबा है, आपके बड़े-बड़े सूबे हैं, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सूबा सरहद के लोग हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से अगर आगे नहीं हैं तो पीछे भी नहीं हैं। जब हम हिन्दुस्तान की उस वक्त की तवारीख पढ़ते हैं जब कि अंग्रेज नहीं आये थे और फिर अब जब कभी हिन्दुस्तान के सूबों में, उसके मुखतलिफ हिस्सों में फिरने का मौका मिलता है—शहरों में नहीं देहात में क्योंकि मैं देहाती आदमी हूं—तो मैं देखता हूं, इस खुश हिन्दुस्तान के बच्चों और देहातियों में कितनी गरीबी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि मुल्क की तरक्की और बहबूदी का जो भी काम हमारे दिल में आता है और हमारी ख्वाइश होती है कि उसे पूरा करें, तो हम देखते हैं कि उसमें बड़ी रुकावटें डाली जाती हैं। हमारा मुल्क और कौम तबाह और बर्बाद हो रहा है, पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इस बेबसी ने सूबा सरहद के लोगों को मजबूर कर दिया है और हम बिल्कुल तंग आ गये हैं। हमारे दिमागों में और दिलों में यह ख्याल पैदा हो गया है कि जब तक इस बदकिस्मत मुल्क को आजाद नहीं कर लेते, इसकी तबाही और बर्बादी दूर नहीं होगी। मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम इसलिए कांग्रेस के साथ हैं कि हमारा यकीन है कि कांग्रेस इस मुल्क को आजाद कराना चाहती है और हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है जो इस देश की गरीबी को दूर कर सकती है। हम कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि हम लोग गुलामी से तंग आ गये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर तालीम में हम लोग पीछे हैं तो इस अहिंसात्मक युद्ध में जो सन् 1942 में शुरू हुआ था, सिर्फ एक सूबा सरहद ही था जिसने अहिंसात्मक उपायों से काम किया था और युद्ध किया था।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं कुर्ग के प्रतिनिधि मि. पुनाका से कहूंगा कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें।

***श्री सी.एम. पुनाका** (कुर्ग): सभापति महोदय, मैं इसे अपना सम्मान और सौभाग्य समझता हूं कि पूर्व वक्ताओं की अभिव्यक्ति को दुहराने के लिए मैं भी यहां खड़ा हूं। स्थायी सभापति महोदय, मैं कुर्ग से आया हूं और कुर्ग निवासियों की ओर से आपका सादर अभिनन्दन करता हूं। राष्ट्रपति की हैसियत से आपने हमारे प्रान्त का दौरा किया था और हमें अपनी बहुमूल्य सलाह दी थी, जिससे आजादी के आन्दोलन में हमें बड़ी सहायता मिली थी। आदरणीय महोदय, मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता। संक्षेप में हम आपको अपना सादर अभिनन्दन समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में इस सभा को पूरी सफलता मिलेगी। *(हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री एच.वी. कामठ कृपया सभा के समक्ष अपना भाषण दें।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति महोदय, स्थायी सभापति के निर्वाचन पर इस पुनीत परिषद् के बहुसंख्यक सदस्यों ने अभिनंदन गायन किया है और यदि आपकी अनुमति है, तो मैं भी इसमें सम्मिलित होता हूं। यह परिषद् भारत में अपने किस्म की पहली परिषद् है। इस पुनीत और प्रसन्नता के अवसर पर जब हमने देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी सभापति के गौरवमंडित आसन पर सर्वसम्मति से बैठाया है, हमारे लिए यह स्मरण रखना अच्छा है कि हम इस स्थिति में क्यों कर पहुंचे हैं। हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, भारतीय जाति की सम्मिलित इच्छाशक्ति और परिश्रम से, महात्मा गांधी द्वारा परिचालित भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कठोर तप और वीरोचित संग्राम से और साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में परिचालित आजाद हिन्द फौज की बहादुराना लड़ाई से। यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के हृदय और मस्तिष्क की खूबियों का वर्णन करूं। भारत की आत्मा उनमें स्वयं सन्निहित है—वह आत्मा जिसने हमारे ऋषियों और महर्षियों को परब्रह्ममयविश्व के प्राचीन परन्तु चिर नवीन सिद्धान्त की शिक्षा देने की प्रेरणा दी—वही आत्मा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद में सन्निहित है। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

[श्री एच.वी. कामत]

की वह कविता याद आ जाती है, जिसका भाव है ''भगवन मुझे वह शक्ति दो कि सेवा द्वारा अपने प्रेम को सार्थक रख सकूं, मुझमें वह बल दो कि मैं अपनी समस्त शक्ति को श्रद्धा और प्रेम से आपकी इच्छा के सामने समर्पित कर सकूं''। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का सादर अभिनन्दन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सर्व शक्तिशाली परम दयालु परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को शक्ति और स्वास्थ्य दे, उत्साह और साहस प्रदान करे, जिससे परिषद् रूपी छोटी नौका को वह खेकर सुख और शान्ति, स्वातंत्र्य और सम्मिलन के तट पर लगा दें। मित्रों, मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। हां बैठने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि गीता का निम्नलिखित संदेश सदा हमें ध्यान में रखना चाहिए।

''उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत।''

जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। जय हिन्द।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब श्री सोमनाथ लाहिरी सभा के समक्ष अपना भाषण देंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव है, मैं सर्वसम्मति से परिषद् का स्थायी सभापति चुने जाने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करता हूं।

श्रीमान् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी, जब आप राष्ट्रीय महासभा के सभापति थे, तब हमारी पार्टी ने आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता देखी। दूसरे दल के दृष्टिकोण को जानने की तीव्र अभिलाषा भी हमने आप में देखी। महोदय, हमें आशा है कि परिषद् के सभापति पद पर रहकर आप अपने इन गुणों पर सदा अमल करेंगे और हमें भी औरों की तरह अपना मत व्यक्त करने की पूरी सुविधा देंगे। जनाब, एक जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अभी भी हम पर सत्ता रखता है। इस परिषद् के किसी भी सदस्य का रूप, राजनैतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, हमें पक्का विश्वास है कि स्वतंत्र होने की एक तीव्र आकांक्षा सब में जोर मार रही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंधनों से सद्यः और सम्पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाने की जबर्दस्त भावना सब में वर्तमान है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने गत दो शताब्दियों से हमारा रक्त शोषण किया है और आज भी

अपनी सेना से, अपने वाइसराय से, अपनी नौकरशाही से, अपनी आर्थिक जंजीरों से, तथा अपने मित्र-देशी रियासतों के शासकों की मदद से हमको दबाये बैठा है। जनाब, बहुत से लोग आपसे यह आशा करेंगे कि सभापति पद पर आसीन होकर आप सब दलों के प्रति निष्पक्ष रहें। पर आप देशभक्त हैं, तपे-तपाये देशभक्त हैं और उन मामलों में जहां कि हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है—अपने ही एक वर्ग के विरुद्ध नहीं, सेक्शन और कमेटी के शब्दजाल के झगड़ों से नहीं, वरन् ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना को यहां से हट जाने का आदेश देकर बल्कि हट जाने के लिए उन्हें बाध्य करके—ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है, हम आपसे निष्पक्ष रहने की आशा नहीं करेंगे। हमें तो इसका विश्वास है कि हम अपनी सत्ता की घोषणा यहां और अभी ही कर सकते हैं। यह पुनीत परिषद् अभी ही इसकी यह घोषणा करके कि हम अब आजाद हैं, हम अब ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटिश वायसराय और उनके शब्दजाल की सत्ता नहीं स्वीकार करते, संग्राम का श्रीगणेश कर सकते हैं और जनता का आवाहन कर सकते हैं। मेरी तो अभिलाषा है कि हम इस परिषद् में ही इस बात की घोषणा कर दें कि सत्ता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अब हम मंत्रिमंडल की योजना, अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जनित भ्रम के चक्कर में न आयेंगे। मैं जानता हूं कि भ्रम मुश्किल से पिंड छोड़ता है। मुझे विश्वास है कि इन भ्रमों को दूर करने में मंत्रिमंडल की पैशाचिक योजना—वह योजना जिसने हमें आज संसार में हास्यास्पद बना दिया है—के विरुद्ध भारतीय जनता को पुनः दृढ़ भाव से युद्ध संलग्न करने में आपकी पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल की योजना से उत्पन्न भ्रातृ-युद्ध तथा मृत्यु की काली छाया के बीच आज हम यहां समवेत हुए हैं और।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मिस्टर लाहिरी, क्षमा कीजियेगा मैं टोक रहा हूं। आप डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में कुछ फरमा सकते हैं।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** मैं यह जानता हूं। इसीलिए तो मैंने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा की है और आशा है अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपना दृष्टिकोण सामने रखने के लिए हमें भी उनसे वही उदारता प्राप्त होगी, जो दूसरों को होती है। हम यह इसलिए कहते हैं कि हमारा यही अनुभव रहा है कि हम जब भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, हमसे संक्षिप्त होने को कहा जाता है। वस्तुतः यहां भी बोलने के पहले ही मुझे दो बार कहा गया था कि संक्षेप में अपना

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

वक्तव्य समाप्त करूं। अस्तु, मैं इसकी परवाह नहीं करता। इस परिषद् के सभापति के नाते मैं जिस बात की उम्मीद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से करूंगा, वह यह है कि वे हमारे देशवासियों के भ्रम को दूर करने में, हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतः प्रकट करने में तथा मंत्रिमंडल की योजना को ठुकरा कर संघर्ष के लिए सबको सम्मिलित होने में सहायता देंगे।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्यो, आप इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि मैं गलतियों से परे नहीं हूं। अब मैं श्री जयपाल सिंह से कहूंगा कि वे चंद मिनटों में अपना मंतव्य पूर्ण करें। वे छोटा नागपुर के आदि-निवासियों के प्रतिनिधि हैं।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नागपुर के आदि-निवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करने को मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं और विशेषतः आदि-निवासियों की ओर से। जहां तक मैं समझता हूं हम केवल पांच सदस्य ही यहां हैं। पर हमारी संख्या कई लाख है और वस्तुतः भारतवर्ष हमारा है। 'क्विट इंडिया' (भारत छोड़ो) कुछ दिनों से प्रचलित हुआ है। मेरी तो यह दृढ़ आशा है कि यहां के आदि-निवासियों के पुनः स्थिर होने और पूर्वावस्था में आने का यही समय है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, फिर बाद में आये हुए लोग यहां से कूच करें और तब यहां के मूल निवासी यहां रह जायेंगे। सचमुच हमें बड़ी प्रसन्नता है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को हमने इस परिषद् का स्थायी सभापति पाया है। चूंकि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उस प्रान्त के हैं जिसके दक्षिणी भाग में आदि-निवासियों का एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है जैसी भारत भर में और कहीं नहीं है। हमें विश्वास है कि हम अपने मामलों में उनसे पूर्ण सहानुभूति पायेंगे। उनकी योग्यता के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वह सर्व विदित है। हम यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से जहां हमें सहानुभूति मिलेगी, वहीं यह सभा भी उनके साथ वैसा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी। *(हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं भारत-कोकिला, बुलबुले हिन्द से अनुरोध करूंगा कि वे सभा के समक्ष अपना भाषण दें, पर गद्य में नहीं पद्य में।

(श्रीमती सरोजिनी नायडू तुमुल करतलध्वनि के बीच रंगमंच पर आईं)

***श्रीमती सरोजिनी नायडू** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय आपको मुझे सम्बोधित करने का तरीका वैधानिक नहीं है। *(हंसी)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर, सभापति पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। *(जोर की हंसी)*

***श्रीमती सरोजिनी नायडू:** इस अवसर पर मुझे प्रसिद्ध काश्मीरी कवि की ये पंक्तियां याद आ रही हैं:

''बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक।

रंगीन तबियतों को रंगे सखुन मुबारक''

मेरे महान नेता और साथी, आज हम लोग डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा में दी हुई इन्द्रधनुष के समान सुन्दर बहुरंगी वक्तृताओं के प्रवाह में बह रहे हैं। *(हर्षध्वनि)* मैं नहीं समझती कि कवित्त-कल्पना भी इन्द्रधनुष की सुमनोहर आभा में और कोई सुन्दरता जोड़ सकती है। इसलिए मैं तो स्वयं राजेन्द्र बाबू के आदर्श का अनुकरण करती हुई विनम्र और अल्पभाषी होकर किसी कुलाचार एवं गृहस्थी सम्बन्धी प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखूंगी जैसा कि एक महिला को चाहिए। *(हंसी)* हम सभी अपने महान दार्शनिक सर राधाकृष्णन् के वक्तृत्व-कला के प्रवाह में बह गये और मालूम होता है कि वे भी दृश्यस्थल से तिरोहित हो चले हैं।

***श्री सर राधाकृष्णन्:** न, न, मैं यहां वर्तमान हूं। *(और हंसी)*

***श्रीमती सरोजिनी नायडू:** आपने अपनी वक्तृता से हम पर ज्ञान-वृष्टि की है। भिन्न-भिन्न प्रांत, मत और सम्प्रदाय के अन्य सभी वक्ताओं ने और हमारे सद्य: पूर्व वक्ता ने भी जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हम सबको भारत छोड़ने का आदेश देकर इस देश पर आदिवासियों का दावा पेश कर रहे हैं, सबने बारी-बारी से अपने मत व्यक्त किये हैं, पर राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं। प्रथम जब मुझसे कहा गया कि मैं राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में कुछ

[श्रीमती सरोजिनी नायडू]

कहूं, तो मैंने जवाब दिया था कि मेरे लिए यह तभी सम्भव है जब मेरे पास सोने की कलम और शहद की स्याही हो, क्योंकि संसार भर की स्याही भी काफी नहीं है, जिससे राजेन्द्र बाबू के गुणों का वर्णन किया जा सके या उनकी गुणावली का अभिनन्दन किया जा सके। हमारे एक पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा था—यद्यपि मैं उनके कथन के एक भाग से ही सहमत हूं—कि परिषद् के अस्थायी और स्थायी सभापति दोनों ही की जन्म भूमि बिहार है और दोनों ने ही बिहारोत्पन्न भगवान् बुद्ध के कतिपय गुणों को अपना लिया है। मैंने कहा कि उक्त वक्ता की एक बात से मैं सहमत हूं दूसरी से नहीं। जिस बात से मैं सहमत हूं वह यह है कि राजेन्द्र प्रसाद जी आध्यात्मिक रूप से करुणा, ज्ञान, त्याग, और प्रेम के अवतार भगवान् बुद्ध के वंशज हैं। कई वर्षों तक उनके घनिष्ठ संपर्क में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। वह हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं—बहुत छोटे, वह मुझसे पूरे पांच साल छोटे हैं। यह बात मुझे उनके जन्म-दिवस पर मालूम हुई—इसलिए मैं इस स्थिति में हूं कि उन्हें आशीर्वाद दूं और उनका अभिनन्दन भी करूं। प्रत्येक वक्ता ने इस सभा में विश्वास के साथ यह कहा है कि राजेन्द्र बाबू सभा के संरक्षक रहेंगे, इसके जनक स्वरूप रहेंगे पर मेरी कल्पना में वह संरक्षक एक कठोर खड्गधारी न होकर एक सुमनोहर पुष्पधारी देवदूत के समान होगा, जो मानव हृदय पर विजय पाता है। यह इसलिए कि राजेन्द्र बाबू में स्वाभाविक माधुर्य है जो बल का काम करता है, उनमें अनुभवजन्य सहज ज्ञान है, शुद्ध दृष्टि है, रचनात्मक कल्पना शक्ति और विश्वास है, जो गुण उन्हें स्वयं भगवान् बुद्ध के चरणों के सन्निकट पहुंचा देते हैं इस सभा-भवन में कुछ जगहें खाली दिखाई दे रही हैं और इन मुस्लिम बन्धुओं की अनुपस्थिति से मुझे हार्दिक क्लेश है। मैं उस दिन की ओर देख रही हूं जब वे बन्धु भी चिर परिचित मित्र मि. मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यहां उपस्थित होंगे। यदि इसके लिए प्रोत्साहन आवश्यक है, जादू की छड़ी जरूरी है तो मैं समझती हूं कि राजेन्द्र बाबू का सहज सौजन्य, उनकी बुद्धि और उनका निर्माणात्मक विश्वास इसका काम करेंगे। मुझे आशा है, और मैं विश्वास करती हूं कि यह आशा ठीक है कि मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर, जो आज इतने विरोधी हैं, शीघ्र ही इस विधान-परिषद् के कट्टर समर्थक बन जायेंगे और उनके द्वारा इनके लाखों अनुयायियों को भी यह बोध हो जायेगा कि उनके हित भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जैसे और अधिक सुविधा प्राप्त वर्गों के। मुझे आशा है कि आदिवासी भी, जो अपने को इस देश

का मौलिक स्वामी समझते हैं। यह जान जायेंगे कि इस परिषद् में जाति और धर्म का, प्राचीन और नवीन का कोई भेदभाव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस देश का छोटे से छोटा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय भी, उसे चाहे जिस रूप में यहां प्रतिनिधित्व मिला हो, यह अनुभव करेगा कि उनके हितों की रखवाली वाला एक ऐसा सतर्क और स्नेहपरायण संरक्षक है, जो कभी भी ऐसा न होने देगा कि सुविधा प्राप्त सम्प्रदाय उनके जन्मजात अधिकारों को समानता और सम अवसर के अधिकारों को रत्तीभर भी दबा सकें। मुझे आशा है कि देशी नरेश भी, जिन में बहुतों को मैं अपना मित्र मानती हूं, जो आज चिन्ता, अस्थिरता अथवा भय में पड़े हैं, यह समझ जायेंगे कि भारत का विधान ऐसा विधान होगा, जो प्रत्येक भारतीय को चाहे राजा हो या रंक सबको स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करेगा। मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसे समझें, सभी इसका विश्वास करें और ऐसी समझ और ऐसा विश्वास उत्पन्न कराने का सर्वोत्तम माध्यम हैं राजेन्द्र बाबू की संरक्षकता और उनका तत्वावधान। मुझे बोलने के लिए कहा गया है पर कितनी देर तक? मैं समझती हूं कि मुझे निश्चय ही इस पुरानी कहावत का खंडन करना चाहिए कि ''औरत अन्त में बोलती है और बहुत ज्यादा बोलती है।'' मैं अन्त में तो बोल रही हूं पर इसलिए नहीं कि मैं औरत हूं बल्कि इसलिए कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा की मेजबान (यजमान) हूं और महासभा ने प्रसन्नतापूर्वक इन अतिथियों को जो सभा के सदस्य नहीं हैं, विधान बनाने में हमारा साथ देने के लिए आमंत्रित किया है और यह विधान भारतीय स्वतंत्रता का अमर विधान होगा।

मित्रो, मैं राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा नहीं करती और न उनकी सिफारिश ही करती हूं। मैं तो यह जोर देकर कहती हूं कि ''वे आज भारतीय भाग्य के, उसके लक्ष्य के प्रतीक हैं। वह हमें विधान बनाने में सहायता देंगे और ऐसा विधान बनाने में जो हमारी मातृ-भूमि को आज भी शृंखला में बद्ध भारत-भूमि को उसका उचित स्थान दिलायेगा और उसके हाथ में शान्ति, स्नेह और स्वातंत्र्य का प्रदीप दे उसे संसार का पथ-प्रदर्शक बनायेगा।''

बर्फानी छतों और समुद्री दीवारों के चिर प्राचीन अपने भवन में खड़ी होकर हमारी भारत-भूमि मानव इतिहास में फिर एक बार ज्ञान और प्रेरणा का दीपक जलाकर संसार के स्वातंत्र्य पथ को आलोकित करेगी। इस तरह पुनः उसे अपनी संतति का गौरव और संतति को अपनी माता का गौरव प्राप्त होगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्यो, अन्तिम वक्ता ने यह कह कर कि बहैसियत औरत के अन्त में बोलने का अधिकार उन्हें है, मेरा बोलना

[सभापति]

ही रोक दिया, पर आप में से बहुतेरे जो कानूनदां हैं, यह जानते हैं कि आखिरी बात आखिर आखिरी बात है।

मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोके रखूंगा। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह तक आपको रोके रख सकता हूं, क्योंकि इस महती सभा में जो लोग अभी यहां मौजूद हैं, उनमें मैं ही एक नाम का ऐसा व्यक्ति हूं, जिसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को गत 44 वर्षों से घनिष्ठ रूप से जानने की सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त है। मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब उन्होंने सन् 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की, जिसका विस्तार उन दिनों आसाम से पंजाब और सीमाप्रांत तक था, मैट्रीकुलेशन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुझे याद है कि उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया था तो मैंने ''हिन्दुस्तान रिव्यू'' में जिसका तब मैं संचालक था और आज भी हूं इस आशय का एक नोट लिखा था कि राजेन्द्र प्रसाद सरीखे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। मैंने कहा था कि हम लोग इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे एक दिन भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभापति बनेंगे और सभापति का भाषण पढ़ते समय जैसा कि गत वर्ष लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सर नारायण चन्द्रावरकर के साथ हुआ इन्हें भी वायसराय से पत्र मिलेगा, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट की जजी देने की बात लिखी होगी। इनके सम्बन्ध में उस समय मैंने यह भविष्यवाणी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा के एकाधिबार सभापति तो हुए पर हाईकोर्ट का जज न होकर इन्होंने मुझे अवश्य ही बहुत निराश किया है। भला मैं क्यों इतना चिंतित था कि वे हाईकोर्ट के जज बनें? यह इसलिए कि उस पद पर पहुंच कर ये अपनी स्वतंत्र न्याय-बुद्धि और तीव्र आलोचना से ब्रिटिश नौकरशाही के प्रबंध विभाग को ठीक कर देते। परन्तु यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हाईकोर्ट के जज नहीं हुए तो भारतीय विधान-परिषद् के स्थायी सभापति तो निर्वाचित हुए। आज मुझे इस बात का गौरव है और मेरे जीवन का यह महत्तम गौरव है कि मैं उन्हें विधान-परिषद् का प्रथम भारतीय सभापति कह कर सभापति के आसन पर आसीन करता हूं। (जिसको आयोग्यतापूर्वक कई दिनों तक मैं सम्भाले रहा)। *(हर्षध्वनि)* अब मैं सभापति का आसन खाली करता हूं और इस महती सभा की ओर से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि वे आकर इसे सुशोभित करें। वे सर्वथा इसके योग्य हैं।

(इन्कलाब जिन्दाबाद, राजेन्द्र बाबू जिन्दाबाद की ध्वनि)

(इसके बाद अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने सभापति का आसन खाली किया और हर्षध्वनि के बीच माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभापति का आसन ग्रहण किया)।

आचार्य जे.बी. कृपलानी (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, अंग्रेजी में इतनी वक्तृताएं हुई हैं कि यह जरूरी है कि मैं जो कुछ बोलू वह हिन्दी में ही बोलूं। मैंने हिन्दुस्तानी ही में डॉ. सिनहा को इस सभा के अस्थायी सभापति होने की दावत दी थी और यह ठीक होगा कि आपकी तरफ से मैं डॉ. सिनहा को मुबारकवाद दूं जिन्होंने इस खूबी से अपने काम को पूरा किया है। हम लोग नहीं समझते थे कि सचमुच आप हम सब लोगों से उम्र में बड़े हैं। मैं यह कहूंगा कि मैं डॉ. सिनहा साहब से उम्र में बहुत कम हूं, लेकिन फिर भी मुझको अपने केशों पर अभिमान है। मैं देखता हूं उनके केश मुझ से ज्यादा काले हैं और जिस बुलंद आवाज से आपने हम लोगों को अपनी जगह पर बिठाया और आर्डर, आर्डर कहा, इससे तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि आप हम लोगों से उम्र में भी बड़े हैं। और फिर आप उस जोश से जिसको जवानी का जोश समझना चाहिए, कभी-कभी हम लोगों के संशोधन को भी खत्म कर देते थे। एक संशोधन पर आपने कहा ''मुझे आशा है आप विवेक से काम लेंगे।'' यदि हम लोग इसके बाद कुछ कहते तो हमारी विवेकबुद्धि पर उन्हें संदेह होता और इसीलिए हमें चुप होकर बैठना पड़ा। आप इस तरह अपने काम को खूबी से अंजाम देते रहे और इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस रसिकता के साथ आपने यह काम निबाहा है उसी रसिकता से आप हम लोगों के साथ आकर बैठेंगे और इस काम में हम लोगों का साथ देंगे।

सभापति (मा. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद): बहनो और भाइयो, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ करेंगे और बुरा न मानेंगे, अगर मैं यह कहूं कि इस वक्त इस भार से मैं अपने को दबा हुआ महसूस कर रहा हूं, जो आपने मुझे इस ऊंचे पद पर चुन करके मेरे कन्धों पर डाला है। आपने मुझे इस पद पर चुनकर एक इतनी बड़ी इज्जत दी है जो हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत हो सकती है। अगर आप माफ करें तो मैं यह भी कहूंगा कि इस देश में जहां जाति-पांति के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आपने हमको चुनकर अपनी

[सभापति]

जाति से एक तरह बाहर कर दिया है और अपनी जात-पांत में बैठने से मुझे वंचित करके एक अलग दूसरी जगह, दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने मुझे अपने से अलग हटा दिया है, बल्कि शायद आप में से हर एक यह भी उम्मीद रखेगा कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे यह बात जाहिर हो कि मैं किसी एक दल का आदमी हूं या किसी एक फिरके का आदमी हूं। आप यह आशा रखेंगे कि यहां जो कुछ मैं करूं वह आप में से हर एक के खिदमतगार की हैसियत से करूं, हर एक के सेवक के रूप में करूं। मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं इस पद को जो आपने मुझे दिया है, ऐसे तरीके से निबाहूं कि आज जिस तरह आप में से बहुतेरे भाइयों ने और मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुबारकबाद दिया है। इससे भी और ज्यादा खुशी आप उस दिन जाहिर करें जिस दिन मुझे यहां से हटना पड़े। मैं जानता हूं कि मेरे रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं बहुत मुश्किलें हैं इस विधान-परिषद् का काम बहुत मुश्किल है। इसके सामने तरह-तरह के सवाल दरपेश होंगे। ऐसी-ऐसी बातें आयेंगी जिनके बारे में फैसला करना किसी के लिये आसान नहीं होगा, मेरे लिये तो हरगिज आसान न होगा। मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमें इस काम में हमेशा आपकी मदद मिलती रहेगी। आपने जिस उदारता और फैय्याजी के साथ मुझे चुनकर यहां बिठाया है, उसी उदारता और फैय्याजी के साथ मेरी मदद करते रहेंगे।

मेरा विधान-परिषद् का यह जल्सा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम यह मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें, और-और विधान-परिषदों के सामने, जहां-जहां वह हुई हैं, रही हैं। वहां भी आपस में मतभेद रहे हैं और इन मतभेदों को जोरों के साथ विधान-परिषद् के सामने पेश भी किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि बहुत-सी विधान-परिषदें लड़ाई-झगड़ा और खरेजी के बीच हुई हैं और उनकी बहुत-सी कार्रवाइयां भी झगड़े और फसाद के बीच हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के इन परिषदों ने अपना काम पूरा किया और उस जमाने में जो इसके सदस्य हुआ करते थे उन्होंने हिम्मत, सद्भावना, फैय्याजी और रवादारी से एक-दूसरे के विचारों को सामने रखते हुए आपस में मिलकर इस तरह के विधान तैयार किये हैं, जिन्हें उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है। आज बहुत दिनों के बीत जाने के बाद भी उन देशों के लोग इन विधानों को अपने लिए एक बड़ी

कीमती चीज मानते हैं। कोई कारण नहीं कि हमारी यह विधान-परिषद् भी बावजूद इन कठिनाइयों के जो हमारे सामने हैं, अपने काम को उसी खूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे। चाहिए हममें सच्चाई, चाहिए हममें एक-दूसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्जत और हुरमत। चाहिए हमको वह ताकत कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ समझ ही न सकें, बल्कि जहां तक हो सके उनके दिलों में घुसकर उनको खुद अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और इस तरह से काम कर सकें कि जिसमें कोई यह न समझे उसकी उपेक्षा की गयी या उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ऐसा हो, अगर हममें स्वयं ऐसी शक्ति आ जाये तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बावजूद इन कठिनाइयों के और सब मुश्किलों के हम अपने काम में पूरी तरह से कामयाब होकर रहेंगे।

मैं यह जानता हूं कि इस परिषद् की पैदाइश तरह-तरह के प्रतिबंधों के साथ हुई है। बहुत से प्रतिबंध तो ऐसे हैं कि मुमकिन है उन्हें अपने कार्यवाही के सिलसिले में हमें याद भी रखना पड़े। मगर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि इस विधान-परिषद् को पूरा अधिकार, मुकम्मिल अख्तियार इस बात का है कि वह अपनी कार्रवाई जिस तरीके से चाहे करे। इसके अन्दर वह जो कुछ करना चाहे करे। किसी भी बाहरी ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाई में वह कुछ भी हस्तक्षेप या दख्लन्दाजी कर सके। इतना ही नहीं, मैं यह भी मानता हूं कि जो पाबन्दियां इसको जन्म के साथ मिली हैं उनको तोड़ देने और उनको खत्म कर देने का अख्तियार भी इस एसेम्बली को है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन बंधनों से बाहर निकलकर एक ऐसा विधान, एक ऐसा कायदा अपने देश के लिए तैयार करें, जिससे इस देश के हर एक स्त्री-पुरुष को यह मालूम हो जाये कि चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों न हो, किसी भी प्रान्त का क्यों न हो, किसी भी विचार का क्यों न हो, उसके सभी अधिकार सदा सब तरह से सुरक्षित हैं अगर हमारी एसेम्बली में इस तरह का प्रयत्न किया गया और उसमें हमें सफलता मिली, तो मैं यह भी मानता हूं कि संसार के इतिहास में यह एक इतना बड़ा काम होगा, जिसके मुकाबिले की दूसरी मिसालें कम मिल सकती हैं।

यह भी याद रखने की चीज है और हम जो यहां आज बैठे हुए हैं, इस बात को एक लमहे के लिए भी नहीं भूल सकते हैं कि आज इस जल्से के

[सभापति]

अन्दर बहुत-सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और चूंकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जल्से में आज शामिल नहीं हैं, हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमको हर कदम पर यह सोचना होगा कि अगर वह यहां हाजिर होते तो वे क्या कहते, क्या सोचते और क्या करते। इन सब बातों पर ध्यान रखकर हमें सारी कार्रवाई को चलाना होगा। साथ ही हम यह भी उम्मीद रखेंगे कि वे जल्दी ही आकर इन कुर्सियों पर बैठेंगे और मुल्क को आजाद करने में तथा आजादी का कायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसे आगे बढ़ायेंगे। पर अगर हमारी बदकिस्मती से यह जगह खाली रहे तो हमारा यह फर्ज होगा, हमारा यह काम होगा कि हम ऐसा विधान तैयार करें, जिसमें किसी को किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे।

स्वराज्य हासिल करने की हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और आज यह एसेम्बली, मैं समझता हूं कि तीन शक्तियों के कारण से पैदा हुई है। पहली चीज है, हमारे देश के लोगों की जानें जो कुर्बान हुई हैं। आज तक हमारे कितने ही स्त्रियों और पुरुषों ने अपनी जान देकर, अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत और तकलीफ उठाकर, हर तरह का त्याग और तपस्या करके यह हालत पैदा की है और फिर इस एसेम्बली के पैदा करने में ब्रिटिश जाति का इतिहास, उनका अपना स्वार्थ और उनकी फैय्याजी सबने मिलकर मदद की है। उसके अलावा आदमियत रखने वाली दुनिया की कार्रवाइयां, दुनिया का वातावरण और दुनिया की उठती हुई शक्तियां, इन्होंने भी इस विधान-परिषद् को पैदा करने में कम हिस्सा नहीं लिया है। ये तीनों शक्तियां हमारा काम होते-होते अपना काम भी करती रहेंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ एक तरफ खींचे और कुछ दूसरी तरफ खींचे। मगर मेरा विश्वास है कि अन्त में हम सफल होकर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें दूरदर्शिता दे, ताकि हम एक-दूसरे के दिल को शुद्ध करें और मिल करके हिन्दुस्तान को आजाद कर सकें।

जिन भाइयो और बहनों ने मुझे मुबारिकवाद दिया है उनसे मैं क्या कहूं? मैं शर्म से नीचे गड़ा जाता था और महसूस करता था कि चन्द मिनटों के लिए अगर मैं यहां नहीं रहता तो बेहतर होता। खासकर मैं डॉ. सिनहा का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और

मुझ पर यह भार नहीं डाला कि मैं भाइयों से कहूं कि मेरी तारीफ करें। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आइन्दा की कार्रवाई में जो कुछ शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है और जो कुछ थोड़ी बुद्धि मुझे मिली है और जो कुछ संसार का थोड़ा-बहुत तजुर्बा मुझे हासिल हुआ है, वह सब आपकी सेवा में अर्पित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी ओर से जो कुछ मदद हमें दे सकते हैं, देते रहेंगे।

*मित्रों, उन लोगों के लाभ के लिए जिन्होंने मेरी हिन्दी वक्तृता न समझी हो, मैं चन्द शब्द अंग्रेजी में भी बोल देना चाहता हूं। माननीय सदस्यो, आप इसे मेरी, अशिष्टता न समझें यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि इस अवसर पर आपने जो महान सम्मान मुझे दिया है, उससे प्रसन्न होने की अपेक्षा मैं अपने को इस दायित्व-भार से दबा हुआ अनुभव करता हूं, जो आपने मेरे कन्धों पर डाला है। मैं मानता हूं कि इस महती सभा ने मुझे सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जो यह किसी भी भारतीय को दे सकती है। मैं इस सम्मान को बहुमूल्य समझता हूं और इसके लिए आपका आभारी हूं। यह बात मैं केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं।

आपके आदेश से मैं यह भार ग्रहण कर रहा हूं और इसके निर्वाह में जो-जो कठिनाइयां आयेंगी उन्हें मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि विधान-परिषद् के कार्य-संचालन में तरह-तरह की कठिनाइयां आयेंगी, पर मुझे इस बात का भी विश्वास है कि अपना फर्ज अदा करने में मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसी उदारता से काम लेंगे, जिससे आपने मुझे यह महान सम्मान दिया है। बड़ी कठिन स्थिति में हमारी विधान-परिषद् समवेत हो रही है। इस अभागे देश में आज कई जगह लड़ाई-झगड़े के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। परन्तु दूसरे देशों ने जब विधान-परिषदों का निर्माण किया और उन्हें विधान बनाने को कहा, तो उन्हें भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बात से हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी, उन मतभेदों के बावजूद भी जो उग्र रूप धारण किये और कभी-कभी लड़ाई-झगड़ों में बदल गये, परिषदों को विधान बनाने में कामयाबी हासिल हुई और उन विधानों को अंत में वहां की जनता ने स्वीकार किया और समय पाकर वे विधान उन देशों के निवासियों के लिए कीमती बसारस साबित हुए।

कोई कारण नहीं कि हम भी उसी तरह सफल न हों। जरूरत है केवल हममें

[सभापति]

सच्चाई की, दृढ़ता की और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा की। हममें यह भावना जरूरी है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ यथासम्भव समानता का, सौजन्य का व्यवहार करेंगे। यदि हममें ऐसी इच्छाशक्ति, ऐसी भावना हो तो कोई कारण नहीं कि हम मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय न पायें। मैं जानता हूं कि इस विधान-परिषद् पर प्रारम्भ से ही कई प्रतिबंध लगा दिये गये हैं अपनी कार्रवाई में और किसी फैसले पर पहुंचने में हमें उन प्रतिबंधों को न भूलना होगा और न उनकी उपेक्षा ही करनी होगी। पर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि उन प्रतिबंधों के बावजूद भी यह परिषद् स्वतंत्र, सत्ता सम्पन्न संस्था है; इसे अपना शासन-विधान बनाने की पूरी आजादी है और कोई भी बाहरी शक्ति इसके काम में न हस्तक्षेप ही कर सकती है और न इसके निर्णय को पलट सकती है। वस्तुतः इस परिषद् को इस बात का अधिकार है कि वह उन प्रतिबंधों को हटा दे जो इस पर प्रारम्भ से ही लगा दिये गये हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई और बहन जो स्वतंत्र भारत का शासन-विधान बनाने के लिये यहां समवेत हुये हैं, वे इन प्रतिबंधों को हटाने में समर्थ होंगे और दुनिया के सामने एक ऐसा आदर्श विधान पेश कर सकेंगे, जो इन विशाल देश के सभी वर्गों को, सभी सम्प्रदायों को और सभी मतों के मानने वालों की आकांक्षा पूर्ण कर सकेगा; जिससे सभी नागरिकों को हर तरह की आजादी—काम करने की, विचार व्यक्त करने की, इच्छानुसार और मतानुसरण पूजा करने की आजादी और उन्नति प्राप्त करने के अवसर मिल सकें।

मुझे आशा है और विश्वास है कि और परिषदों की तरह यह परिषद् भी समय पाकर शक्तिसम्पन्न बनेगी। जब ऐसे संगठन काम में लगते हैं, तो उन्हें गति मिल जाती है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, शक्ति संचय करते जाते हैं, जिससे राह में आने वाली समस्त दुर्दमनीय बाधाओं पर भी उन्हें विजय मिलती है। परमात्मा से प्रार्थना है कि यह परिषद् भी अपनी गति के साथ-साथ अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जाये।

मुझे दुख है कि आज सभा में बहुत-सी कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही हैं। आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग के बन्धु भी शीघ्र ही यहां अपना स्थान ग्रहण कर देशवासियों के लिए विधान बनाने के काम में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे और

विधान निर्माण करेंगे, जो ऐसा संसार के अनुभव के आधार पर, हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारी अवस्था के आधार पर हर नागरिक को हर तरह का वांछनीय आश्वासन दे सके, जो हर नागरिक को सन्तोष प्रदान करने की गारंटी करे और जिसमें किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। मेरी यह भी आशा है कि आप सब इस महान लक्ष्य की प्राप्ति की पूरी चेष्टा करेंगे।

हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, स्वतंत्रता। किसी ने ठीक कहा है ''आजाद रहने की आजादी सबसे बड़ी चीज है।'' आइए हम सब इस बात की प्रार्थना करें कि इस विधान-परिषद् का श्रम सार्थक हो और इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो ऐसी स्वतंत्रता जिसका हमें अभिमान हो सके।

कार्य संचालन के लिए नियम-निर्मातृ-समिति का निर्वाचन

***सभापतिः** इससे आज का हमारा काम समाप्त हुआ, पर मैं सदस्यों से कहूंगा कि वे थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करें। आपको याद होगा कि कल हमने एक नियम-निर्मातृ-समिति बनाना तय किया था और इसके सदस्यों की नामजदगी के लिए 12 बजे तक का वक्त तय किया था। हमें 15 सदस्य चुनने हैं। मैं देखता हूं कि केवल 15 सदस्य ही नामजद किये गये हैं इससे अब बैलट द्वारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं निम्नलिखित 15 सदस्यों को, जिनके नाम प्रस्तावित हुये हैं, निर्वाचित घोषित करता हूं:

1. माननीय श्री जगजीवन राम
2. श्री शरतचंद्र बोस
3. श्री एफ.आर. एन्थॉनी
4. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
5. श्री बख्शी सर टेकचंद
6. माननीय श्री रफीअहमद किदवई
7. श्रीमती जी. दुर्गाबाई
8. डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौजा
9. माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर
10. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
11. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
12. डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

[सभापति]

13. श्री के.एम. मुंशी
14. माननीय श्री मेहरचंद खन्ना
15. सरदार हरनाम सिंह

ये लोग नियम-निर्मातृ-समिति में नियमानुसार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

एक काम और हैं। पहले दिन डॉ. सिनहा ने सदस्यों की सुविधा और समय बचाने के ख्याल से सदस्यों के साथ हाथ मिलाने की रस्म को बन्द कर दिया था। आपके सभा स्थान छोड़ने के पहले मैं प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें अरसे से जानने का मुझे सौभाग्य है। बहुतेरे ऐसे हैं जिनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्पर्क तो नहीं हैं, पर उनको मैं पहचानता हूं, कुछ के नाम भी याद हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता और आज उनका परिचय पाना चाहता हूं। यदि आपको कष्ट न हो तो यह भी काम पूरा कर लिया जाये।

इसके बाद सभा बरखास्त हो जायेगी और कल प्रातः 11 बजे तक स्थगित रहेगी।

(तब सभापति ने सभा भवन में घूमकर सभी उपस्थित सदस्यों से हाथ मिलाया)

इसके बाद सभा मंगलवार ता. 12 दिसम्बर सन् 1946 ई. के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।